पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0 सं0–03– 217
क्रमांक–291/2018
आरबीई सं0–181/2017
सं0ई/9/10/भाग–VII (चार)

दिनांक 12–03–2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कियान्वयन–अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में उपनिदेशक संयुक्त निदेशक/निदेशक के रूप में तैनात संगठित ग्रुप'ए' रेल सेवाओं के अधिकारियों और वरिष्ठ वेतनमान पद पर तैनात ग्रुप'बी' अधिकारियों के कार्यकाल भत्ते की दरों में संशोधन।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 पीसी–VII/2017/1/7/5/6 दिनांक 04.12.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0के0पाण्डेय)
सकाधि/मुख्या0–II
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– नुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R-57

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 80
आरबीई सं.:181/2017
नई दिल्ली, दिनांक 04/12/2017

सं. पीसी-VII/2017/I/7/5/6

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक-सूची के अनुसार)

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन - अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक के रूप में तैनात संगठित ग्रुप 'ए' रेल सेवाओं के अधिकारियों और वरिष्ठ वेतनमान पद पर तैनात ग्रुप 'बी' अधिकारियों के कार्यकाल भत्ते की दरों में संशोधन।

कृपया उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 27.03.2009 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/I/7/5/3 (क्र. सं. पीसी-VI/94, आरबीई सं. 58/2009) का अवलोकन करें।

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप यह विनिश्चय किया जाता है कि संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवा के अधिकारियों को अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के कार्यालय में उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक के रूप में तैनात किए जाने पर वे नीचे यथा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर अपना मूल वेतन एवं कार्यकाल भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे जिनका कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते से संबंधित दिशा-निर्देशों के आधार पर समीक्षा/संशोधन, यदि कोई हो, किया जाएगा।

(i) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक के रूप में तैनात संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवा के अधिकारी एक निर्धारित कार्यकाल तक तैनात रहेंगे जिसकी समाप्ति पर उन्हें क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों और निर्माण संगठनों में फील्ड पदों पर वापस भेज दिया जाएगा।

(ii) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/निदेशक के रूप में तैनात संगठित ग्रुप "ए" रेल सेवा के अधिकारियों को उनके मूल वेतन के 10% की दर से कार्यकाल भत्ते का भुगतान किया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 9000/- रुपए प्रति माह होगी।

(iii) यह भत्ता उप निदेशकों के तीन वर्ष, संयुक्त निदेशकों के चार वर्ष और निदेशकों के पांच वर्ष के सामन्य कार्यकाल के बाद देय नहीं होगा।

(iv) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन में कार्यपालक निदेशक के रूप में तैनात अधिकारियों को कोई कार्यकाल भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(v) यह भत्ता उन उप निदेशकों/संयुक्त निदेशकों/निदेशकों का स्वीकार्य नहीं होगा जिनका सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकाल बढ़ाया गया हो या जिनका पुनर्नियोजन किया गया हो।

(vi) जिन मामलों में कार्यकाल के आधार पर तैनाती निम्नत्तर वेतन स्तर वाले पद पर की जाती हो, उनमें ऐसे पदों पर जाने वाले अधिकारी का वेतन मौजूदा नियमों के अनुसार कार्यकाल पद में भरा जाएगा।

संशोधित वेतन संरचना में **'मूल वेतन'** का तात्पर्य वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन है परन्तु उसमें विशेष वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा।

3. बोर्ड के दिनांक 12.02.2004 के पत्र सं. पीसी-V/98/I/7/3 के पैरा 4 में निहित मौजूदा शर्तें लागू होंगी। टीएडीके रखने की अनुमति नहीं होगी।

4. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(जया कुमार जी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-VII
रेलवे बोर्ड

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No. 80

RBE No.: 181/2017

File No. PC-VII/2017/I/7/5/6 **New Delhi, dated: 04/12/2017**

The General Manager/CAOs(R),
All India Railways & Production Units,
(As per mailing list)

Sub: - Implementation of the recommendations of Seventh Central Pay Commission – Revision of the rates of Tenure Allowance to officers of Organized Group 'A' Railway Services posted as Deputy Directors, Joint Directors, Directors and Group 'B' officers when posted against senior scale post in RDSO.

Kindly refer to Board's letter No. PC-VI/2008/I/7/5/3 dated 27.03.2009 (S.No. PC-VI/94, RBE No. 58/2009) on the above mentioned subject.

2. Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of 7th Central Pay Commission, it is decided that on their posting as Deputy Directors, Joint Directors, and Directors in the office of RDSO, the officers of the Organized Group 'A' Railway Services will be entitled to draw their basic pay plus Tenure Allowance on the terms and conditions as stipulated below subject to review/modifications, if any, based on DoPT's guidelines on Deputation (Duty) Allowances.

(i) The Officers of Organized Group 'A' Railway Service posted in the RDSO as Deputy Directors, Joint Directors and Directors will be subjected to a prescribed tenure, on the expiry of which they will be reverted to field posts in Zonal Railways/Production Units and Construction Organizations.

(ii) Officers belonging to Organized Group 'A' Railway Services posted in RDSO as Deputy Directors/Joint Directors/Directors will be paid Tenure Allowance at the rate of 10% of their basic pay subject to a ceiling of ₹ 9000/-p.m.

(iii) The allowance will not be paid beyond the normal tenure of three years for Deputy Directors, four years for Joint Directors and five years of Directors.

(iv) No Tenure Allowance will be admissible to the officers of the Services posted as Executive Directors and above in RDSO.

(v) This allowance shall not be admissible to those Deputy Directors/Joint Directors/Directors who are given extension or re-employment after superannuation.

(vi) In cases where the tenure posting is a post with a lower Level of pay, the pay of the Officer going to such a post will be filled in the tenure post as per extant rules.

'**Basic Pay**' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like Special Pay, etc.

3. The existing conditions contained in para 4 of Board's letter No. PC-V/98/I/7/3 dated 12.02.2004 would continue to be operative. TADK will not be admissible.

4. These orders shall take effect from 1st July, 2017.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

6. Hindi version is placed below.

(Jaya Kumar G)
Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

File No. PC-VII/2017/I/7/5/6 **New Delhi, dated: 04 / 12 /2017**

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

File No. PC-VII/2017/I/7/5/6 **New Delhi, dated: 04 / 12 /2017**

Copy forwarded to :-

1. PFAs All Indian Railways, PUs, NFR(Const)
2. The Principal, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
3. The General Manager, CORE/Allahabad
4. The Director General, RDSO, Lucknow,
5. The General Manager and FA&CAO, Metro Railway
6. The CAO and PFA, COFMOW/New Delhi
7. The CAO(Const), MTP(R)/Mumbai
8. The CAO(MTP(R) Chennai
9. The Director, CAMTECH/Gwalior
10. The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune (c) IRIMEE, Jamalpur (d) IRISET, Secunderabad
11. The Managing Directors RITES, IRCON, CRIS, IRFC, CONCOR, RVNL, DFCCIL, KRCL.
12. The Chairman-cum-Managing Director, Konkan Railway Corporation, New Delhi.
13. The Pay & Accounts Officer, Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
15. The Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
16. Executive Director (Finance), RDSO, Lucknow.
17. The Chairman, RCC Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
18. The Chairman, RRT, Chennai.
19. The Chairman, RCT.